

1. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशनलाल महाजन निवासी थोबावाडा तहसील झाडोल।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री काना पुत्र कुका भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
2. श्री देवा पुत्र कुका भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
3. श्रीमती वेसाती पत्नी कुका भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
4. श्रीमती गीगलीबाई पत्नी बंशीलाल भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
5. श्री किशनलाल पुत्र लाला भील निवासी नयागांव तहसील फलासियां
6. श्री नका पुत्र लाल भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
7. श्रीमती पुनकी पत्नी लाला भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
8. श्री रमेश पुत्र लाला भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
9. श्री रोशनलाल पुत्र लाला भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
10. श्री संदीप पुत्र लाला भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
11. श्री प्रकाश पुत्र हीरालाल भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
12. श्री प्रभुलाल पुत्र हीरालाल भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
13. श्री बन्टीलाल पुत्र हीरालाल भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
14. श्री रतन पुत्र हीरालाल भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
15. श्री राकेश पुत्र हीरालाल भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
16. श्री केशरसिंह पुत्र रघुनाथसिंह राजपुत निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
17. श्री सोहनलाल पुत्र केशा भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
18. श्री हुरमाल पुत्र केशा भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
19. श्री कावा पुत्र गुला भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
20. श्री लक्ष्मण पुत्र गुला भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
21. श्रीमती वेलकी पत्नी गुला भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
22. श्री भमरू पुत्र पुना भील निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
23. श्री करणसिंह पुत्र पनेसिंह राजपुत निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
24. श्री कल्याणसिंह पुत्र जयसिंह निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
25. श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री मनोहरसिंह निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
26. श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र पनेसिंह निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
27. श्री भैरूसिंह पुत्र पनेसिंह निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
28. श्री भंवरसिंह पुत्र पनेसिंह निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
29. श्री वक्तावरसिंह पुत्र हिम्मतसिंह निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
30. श्री विरेन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह निवासी नयागांव तहसील फलासिया।
31. श्रीमती शिवकुंवर पत्नी पनेसिंह निवासी नयागांव तहसील फलासिया।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

उपस्थित- प्रार्थीगण की ओर से- श्री दिलीप भामावत

अप्रार्थी की ओर से- एक तरफा

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा नयागांव पटवार क्षेत्र विरोठी तहसील फलासिया की जमाबन्दी संवत 2077 से 2080 के खाता संख्या 155 में वर्णित आराजियात किता 31 कुल रकबा 4.0800 भूमि है 0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते हैं तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते हैं व घास लकड़ी इत्यादि को ले जाते हैं। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाईं झगडा करते रहते हैं। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की मौजा नयागांव पटवार क्षेत्र विरोठी तहसील फलासिया की जमाबन्दी संवत 2077 से 2080 के खाता संख्या 155 में वर्णित आराजियात किता 31 कुल रकबा 4.0800 भूमि है 0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण पेश होने पर वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे हैं, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये हैं।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार का तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा नयागांव पटवार क्षेत्र विरोठी तहसील फलासिया की जमाबन्दी संवत 2077 से 2080 के खाता संख्या 155 में वर्णित आराजियात किता 31 कुल रकबा 4.0800 भूमि है 0 भूमि की मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नहीं होने की स्थिति में दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फलासिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रूपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु तहसीलदार फलासिया को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
उपसहायक अधिवक्ता
जिला न्यायालय
इलाहाबाद, जिला-उदयपुर